क्रम-संख्या–102

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 जुलाई, 2025

आषाढ़ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 280/दो-4–2025-02-4003(002)-2-2025

लखनऊ, 4 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–49

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2025'' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 के उप-नियम (क) में संशोधन

2– उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में, नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप-नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
5- भर्ती का स्रोत– सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:–	**5- भर्ती का स्रोत–** सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी–

(क) श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से, पदोन्नति द्वारा,	(क) श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धान्त और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर ऐसे सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से जो उस संवर्ग में अन्यून 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 280/Two-4–2025-02-4003(002)-2-2025, dated July 4, 2025:

No. 280/Two-4–2025-02-4003 (002)-2-2025

Dated Lucknow, July 4, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 *read* with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE (SEVENTEENTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Seventeenth Amendment) Rules, 2025."

(2) They shall come into force at once.

Amendment in sub-rule (a) of Rule-5

2. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 in Rule 5 for existing sub-rule (a) as set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing sub-rule	**Sub-rule as hereby substituted**
5. Source of recruitment : The recruitment to the service shall be made– (a) By promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of Principle of merit-cum-seniority and passing a suitability test.	**5. Source of recruitment :** The recruitment to the service shall be made– (a) By promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) having not less than 05 years qualifying service in that cadre, on the basis of Principle of merit-cum-seniority and passing a suitability test.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 90 राजपत्र–2025–(257)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 नियुक्ति–2025–(258)–500 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।